भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3583

10.08.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय धूल प्रदूषण शमन मिशन

3583. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में निर्माण गतिविधियों, ग्रामीण सड़कों, खनन क्षेत्रों और खुली भूमि से होने वाले धूल उत्सर्जन से निपटने के लिए एक 'राष्ट्रीय धूल प्रदूषण शमन मिशन' शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैज्ञानिक तरीके से धूल नियंत्रण, सड़क किनारे वृक्षारोपण और कणिकीय पदार्थ की रियल-टाइम निगरानी के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) और तीव्र शहरीकरण वाले जिलों में धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में धूल प्रदूषण का व्यापक आकलन करने और उचित शमन उपाय लागू करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने नवंबर, 2017 में 'निर्माण सामग्री तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के दौरान धूल शमन उपायों संबंधी दिशानिर्देश' जारी किए हैं और ये दिशानिर्देश निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल शमन उपायों को निर्धारित करते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 20.12.2017 को सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) को निर्देश जारी किए कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों को सहमति प्रबंधन का अभिन्न अंग बनाया जाए तथा शहरी स्थानीय निकायों

(यूएलबी) को निर्देशित किया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण स्थलों पर इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा दिनांक 14.09.2006 को जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) के माध्यम से अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार, उसकी अनुसूची में सूचीबद्ध ≥20,000 वर्गमीटर तथा <1,50,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल वाले भवन एवं निर्माण परियोजनाएँ, ≥50 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा/अथवा ≥1,50,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल वाली टाउनशिप एवं क्षेत्र विकास परियोजनाएँ, खनन परियोजनाएँ तथा राजमार्ग परियोजनाएँ प्रारंभ किए जाने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ भवन निर्माण परियोजनाओं, खनन गतिविधियों तथा राजमार्ग परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) तथा परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्रदान करती हैं तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की अनुपालना सुनिश्चित करती हैं।

निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न धूल के प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, शोधन एवं निपटान सहित उसके पर्यावरणीय दृष्टि से समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और अवैज्ञानिक निपटान को कम करने, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के मूल्य की हानि को रोकने तथा ऐसे अपशिष्ट के डंपिंग से उत्पन्न प्रदूषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए थे, जिन्हें वर्ष 2025 में संशोधित कर पर्यावरण (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट शमन उपायों पर जोर देता है। इन कार्ययोजनाओं में सड़क की धूल के नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों तथा औद्योगिक प्रदूषण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-

विशिष्ट हस्तक्षेपों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से स्रोतों की पहचान के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने एनसीएपी के तहत स्थानीय निकायों और सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले धूल नियंत्रण के लिए शहरी सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव और यातायात गलियारों के हरियाली के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया है।

292 शहरों में वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) प्रसारित किया जाता है। सर्व साधारण के लिए वायु गुणवत्ता डेटा और प्रति घंटा वायु गुणवत्ता सूचकांक के निकट वास्तविक समय की ट्रैकिंग और प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल और समीर मोबाइल ऐप संचालित है।

शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों को ₹16,423.56 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें एनसीएपी शहरों में धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना भी शामिल है।

हरियाणा के भिवानी तथा नारनौल (जिला महेंद्रगढ़) ने शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार की हैं, जिनमें सड़क की धूल तथा निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के नियंत्रण हेतु वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी उपाय शामिल किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सड़क की धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए भिवानी एवं नारनौल को क्रमशः ₹4.98 करोड़ तथा ₹4.45 करोड़ की महत्वपूर्ण अंतर निधि स्वीकृत की है। वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित शहरों में शहर-स्तरीय कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।
